

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प तुलसीपुरा

487
14/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तुलसीपुरा व भू-अभिलेख निरीक्षक सुनेसवर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली/नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुर तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में खाता संख्या 53 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	राजपुर	53	जगमोहन रामकुमार पि० शंकर मोहनवाई बेवा शंकर इन्दरवाई गुड़ीपुगी शंकर हि० 1/2 रामकेश रामसिंह लोहरे प्रकाश पि० धम्मन शीतल वाई शकुन्तला पुत्री सुमान कलावती बेवा सुमान हि० 1/2 कैम चमार सा. लोकरपुर	जगमोहन रामकुमार पि० शंकर मोहनवाई बेवा शंकर इन्दरवाई गुड़ी पुनीशंकर 1/2 रामकेश रामसिंह लोहरे प्रकाश पि० सुमान शीतल वाई शकुन्तला पुत्री सुमान कलावती बेवा सुमान हि० 1/2 कैम जायव सा. लोकरपुर

हस्ताक्षर
14-6-18

14/6/18
(उपखण्ड अधिकारी)

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प तुलसीपुरा
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक :-
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।